फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .....वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश..... मुकाम .....रींगस, जिला सीकर.....

.....किसनाराम..... बनाम .....रूघनाथ वगै.....

किस्म मुकदमा .....दीवानी दावा.....प्रकरण संख्या ....370/..2015.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांकः 27.11.2025

पक्षकारान व उनके अधिवक्तागण अनुपस्थित। अभिभाषकगण बार संघ के आव्हान पर कथित मांगों के सम्बन्ध में न्यायालय में उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। अभिभाषकगण द्वारा किये गये कार्य स्थगन/हड़ताल के कारण पत्रावली में प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरीश उप्पल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2003(2) एस.सी.सी. पेज 45, ए.आई.आर 2003 एस.सी. 739 के मामले में अधिवक्तागण द्वारा किये गये न्यायिक कार्य स्थगन/हड़ताल, जो एक दिन से अधिक का हो, को अवैधानिक/अनैतिक करार दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप यदि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है तो इसका तात्पर्य अधिवक्तागण द्वारा की गई गैर कानूनी कार्यवाही को न्यायालय द्वारा सहयोग किया जाना माना जावेगा। इस बाबत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परिपत्र कमांक पी.आई/02/2015 दिनांक 08.04.2015 भी जारी किया हुआ है। लिहाजा प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए व पक्षकारों के हित प्रतिकूलतः व सारतः प्रभावित न हो, एक अवसर पक्षकारान/अधिवक्तागण को उपस्थिति हेतु दिया जाना उचित है। आयंदा पक्षकारान/अधिवक्तागण के उपस्थित नहीं आने पर पत्रावली में प्रभावी आदेश पारित किया जावेगा।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 29.11.25 को पेश हो।

ममता रोहिला
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
रींगस, जिला–सीकर